तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/2?	[illegible] वादी [illegible] उ[illegible] [illegible]कारी [illegible] में [illegible] [illegible]रण में [illegible] हो सकी । [illegible] पूर्ववत [illegible] -- 1-4-25 को पेश हो
1/4/25	पत्रावली [illegible] हुई, वकील वादी/प्रतिवादी अ[illegible] [illegible] में [illegible] से [illegible] में [illegible] हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- -- 1-5-25 को पेश हो
1/5/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ने राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक........ 31/07/25 ....को पेश हो।
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय की पालना हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 13.09.2021

तारीख फैसला 2.08.2024

/2021

ठासीन अधिकारी— नयन गौतम (आई.ए.एस.)

उनवान

1— श्रीमती मांगी बाई पुत्री दल्ला जी, पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर निवासी बडोद (मृतक)कायम मुकाम

1/1 मनभर बाई पुत्री मांगीबाई पत्नि मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी पाकलखेड़ा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0 (वादनी)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादनी की ओर से — श्री ओम प्रकाश सैनी एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय</u>

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— यह कि वादनी व उसकी माता बरजी पत्नी दल्ला के शामलाती खाते में ग्राम बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1210 की रकबा 0.03 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न है।

2— यह कि वादनी व उसकी माता बरजी पत्नी दल्ला तथा अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में ग्राम बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 487 रकबा 2.11 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादनी का 1/24 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न है।

3— यह कि वादनी की माता बरजी पत्नी दल्ला जी का देहावसान दिनांक 5.04.1957 को हो चुका है। बरजी बाई के वादनी पुत्री के अलावा अन्य कोई वारिसान नही है तथा वादनी ही अपने व अपनी माता के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। इस कारण बरजी बाई की भूमि की भी वादनी खातेदार हो गयी है। वादनी को कानून की जानकारी न होने से अपनी माता का फोती नामान्तरकरण नहीं खुलवा सकी ।

4— यह कि वादनी की माता बरजी बाई का देहावसान हो जाने के कारण वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर से बरजी बाई का नाम डिलीट किया जाकर वादनी को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा इसी प्रकार मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि पर बरजी बाई का नाम डिलीट किया जाकर वादनी को 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

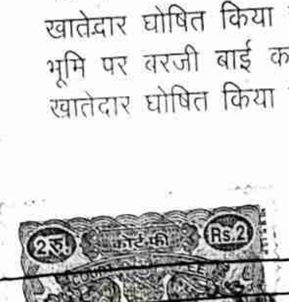

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि वादनी ने उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में से बरजी बाई का नाम हटा कर नी को क्रमश मद नं0 1 की सम्पूर्ण भूमि का खातेदार व मद नं0 2 में वर्णित भूमि में 12 हिस्से का खातेदार घोषित करने हेतु दिनांक 6.09.2021 को प्रतिवादी के कर्मचारी पटवारी हल्का को कहा तो प्रतिवादी ने बरजी का फोती इंतकाल वादनी के नाम खोलने से इन्कार कर दिया बल्कि अदालत से आदेश लाने को कहा।

6– यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादनी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदार घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

7– यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा बरजी बाई का फोती इंतकाल वादनी के नाम खोलने से व बरजी बाई का नाम डिलीट करने से दिनांक 6.09.2021 को मना करने पर पैदा हुआ।

8– यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। भूमियों के अन्य सहखातेदारान से किसी प्रकार का विवाद नही है इस कारण सहखातेदारान को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:–

1– कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.03 हेक्टर भूमि पर से बरजी पत्नी दल्ला का नाम डिलीट किया जाकर वादनी को खातेदार घोषित किया जावे।

2– कि वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 482 रकबा 2.11 हेक्टर भूमि पर से बरजी पत्नी दल्ला का नाम डिलिट किया जाकर वादनी को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

3– कि अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल छाया प्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत साहपुरा पं0स0अन्ता जिला बांरा.
2– नकल छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बरजी बाई दिनांक 5.04.1987
3– नकल छाया प्रति आधार कार्ड मनभर बाई
4– नकल छाया राशन कार्ड
5– नकल छाया प्रति आधार कार्ड पप्पू
5– नकल जमाबन्दी ग्राम बडौद सम्वत 2075–78 खाता नं0 200
6– नकल जमाबन्दी ग्राम बडौद सम्वत 2075–78 खाता नं0 350
7– नकल कार्यालय ग्राम पंचायत बनेठिया दिनांक 20.04.2022
8– नकल छाया प्रति आधार कार्ड मांगीबाई
9– नकल छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मांगीबाई पुत्री दल्ला, व माता बरजी बाई

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी के हल्का पटवारी बडौद की आरे से प्रस्तुत रिपोट में अवगत करवाया है कि ग्राम बडौद की वर्तमान जमाबन्दी में खाता सं0 200 पर सहखातेदार बरजी पत्नि दल्ला हि0 1/24 मांगी पुत्री दल्ला हि0 1/24 जाति गुर्जर वगै0 सा0देह खातेदार , खसरा संख्या 482 की 2.11 हेक्टर, कुल किता 1 की 2.11 हेक्टर भूमि व ग्राम बडौर की खाता सं0 350

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

दो रुपये TWO RUPEES

बरजी पत्नि दल्ला हि0 1/2 मांगी पुत्री दल्ला हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह तेदार , खसरा संख्या 1210 की 0.03 हेक्टर कुल किता 1 की रकबा 0.03 हेक्टर भूमि र्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम बडौद के मजमें आम मे बरजी बाई पत्नि दल्ला जाति गु... निवासी बडोद के बारे मे जाच करने पर ग्राम वासियों ने बताया की बरजी बाई पत्नि दल्ला जाति गूर्जर लगभग 30 से 35 वर्ष पूर्व ग्राम बडौद को छोडकर चली गई मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र उक्त मृतका बरजी बाई पत्नि दल्ला जब बडोद में निवासी करती थी तब उसके दो पुत्रिंया मांगीबाई व अणदीबाई थी मोके पर उपस्थित उक्त मृतका की पत्री मांगीबाई ने बताया की बरजी बाई पत्नि दल्ला के बडौद से जाने के बाद ग्राम माल बम्बोरी तहसील मांगरोल जिला बांरा में निवासी करने लगी ओर वही पर उसकी मृत्यु हो गयी। तथा एक अन्य जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का बनेठिया से ली गई जो पटवारी हल्का बनेठिया द्वारा दिनांक 2.08.2024 को पेश की गई जिसकी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम जहांगीरपुरा में अणदी बाई पुत्री दल्ला पत्नी नन्दकिशोर जाति गुर्जर के संबंध में बताया कि ग्राम जहांगीरपुरा के मजमेंआम में ग्राम वासियान से जानकारी की गई तत्पश्चात ग्राम वासियान द्वारा बताया गया कि अणदी बाई का विवाह नन्द किशोर गुर्जर से हुआ था। लगभग आज से 60 वर्ष पूर्व किसी बीमारी के चलते अणदी बाई लाऔलाद फौत हो गई। नन्दकिशोर की भी मृत्यु हो लगभग 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अणदी बाई की कोई संतान नही होना बताया। साक्ष्य के रूप में मनभर बाई का शपथ शामिल फाईल है। मनभर बाई की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र कर निवेदन किया है कि मेरी माता मांगीबाई पुत्री दल्ला व मेरी नानी बरजी बाई पत्नी दल्ला की शामलाती खाते में ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कौटा में खसरा नम्बर 1210 की 0.03 हेक्टर में 1/2, 1/2 हिस्सा में दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 482 की रकबा 2.11 हेक्टर भूमि में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी की माता का अर्थात , मांगी बाई का 1/24 हिस्सा व वादनी की नानी बरजी बाई पत्नि दल्ला का 1/24 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादनी की माता , मांगीबाई व वादनी की नानी बरजी पत्नि दल्ला का देहावसान हो चुका है। मांगीबाई की वादनी पुत्री (मनभर) के अन्य कोई वारिसान नही है। शपथ पत्र में कथन किया कि वादनी ही अपनी मांता व नानी के हिस्से पर काबिज काश्त चली है इस कारण मनभई दोनों की एक मात्र वारिसान व खातेदार है। वादनी की माता व नानी का देहावसान हो जाने के कारण वाद पत्र में वर्णित भूमि पर से बरजी व मांगी बाई का नाम डिलीट किया जाकर वादनी मनभर बाई को उनकी सम्पूर्ण हस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादनी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत जवाब सरकार का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं संलग्न अन्य रिकार्ड व प्रस्तुत जवाब प्रतिवादी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादनी की माता मांगीबाई व नानी बरजी पत्नि दल्ला का देहावसांन हो चुका है तथा दोनों के की एक मात्र वारिस मनभर बाई पुत्री मांगीबाई पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर होना स्पष्ट साबित होता अतः ग्राम बडौद की खाता संख्या 200 की खसरा नम्बर 482 की रकबा 2.11 हेक्टर भूमि में वादनी मनभर बाई की माता मांगीबाई पुत्री दल्ला हिस्सा 1/24 व व नानी बरजी बाई पत्नि स्व दल्ला हिस्सा 1/24 का नाम डिलिट किया जाकर उनके स्थान पर वादनी मनभर बाई पुत्री मांगीबाई पत्नि मोहनलाल जाति गुर्जर को 1/12 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2 रु. Rs.2 INDIA दो रुपये TWO RUPEES

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद की खाता संख्या 0 की खसरा नम्बर 482 की रकबा 2.11 हेक्टर भूमि में वादनी मंनभर बाई की माता मांगीबाई पुत्री दल्ला हिस्सा 1/24 व व नानी बरजी बाई पत्नि स्व0 दल्ला हिस्सा 1/24 की मृत्यु होने से नाम डिलिट किया जाकर उनके स्थान पर एक मात्र वारिस वादनी मनभर बाई पुत्री मांगीबाई पत्नि मोहनलाल जाति गुर्जर को 1/12 हिस्से की तथा ग्राम बडौद के खाता संख्या 350 की खसरा नम्बर 1210 की रकबा 0.03 हेक्टर भूमि की खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)